

उन्हें अचिकिक कार्यालय – सी-2, क्षिप्रा विहार, नागझिरी, देवास रोड, उज्जन फोन : 0734-2513606, E-Mail- ujjain ARD@bankofindia.co.in

परिशिष्ट - IV क (नियम B(6) का परन्तुक देखें)

अचल संपत्ति के विकय हेतु विकय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वितीय आरितयों. का प्रतिभृतिकरण और पुनंपटन तथा प्रतिभृति जित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अबल आरितयों के विक्रय हेतु ई - नीलामी विक्रय नोटिस (

आम लोगों को तथा विशेष रूप में उधार लेने वाले और प्रत्याभृति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अधल संपत्ति जो प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का लंकेतिक कब्जा कॉलम (नीचे वर्णित) वैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "ज़र्डा है, जैसा है और जो कुछ भी है " के आधार पर निम्नलिखित उधार लेने बाने प्रत्याचीत-वाला से बकाया राजि (संबंद कॉलम में नीचे वर्णित) की वसली हेल दिलांक 25.08.2025 (विकय की लारीख) को समय पाल: 11.00 से टोपनर 05.00 बजे लक वेचा जाएगा

	ई गीलाम	विनांक 25.06.20 2	25, रामय : सुबह 11 बजे से 05 बजे तक		
b.	कर्जी एवं संपत्ति मालिक / अमान मांग मीटिश, राशि विवांक एवं व		संचक स्थी संपत्ति का विकला एवं संपत्ति के बंधकवार्थों के नाम	ज्ञातीकेल जूनक	सर्गत सर्गत
		idia.co.in (IFSC Code -	n, எனின மூர்ள : 0734 - 2530929 BKID0009103, EMD வளர்று வளர்க், 910390200000033 - Colle	ection Acc	ount)
	14/ 1, वसत विद्वार कोलीनी, उज्जीन-456001, उज्जीन-456001, 03, 234, विष्णुपुरी, भवरकुर	02. ए-4/६, महाकाल वाणिज्य केन्द्र तं के पास, इंदौर-4520021, जमानत =.18,34,030.44 + व्याज एर	ता : 01. य- प्रत्याभृत अथल संपत्ति - कापवटेर्ड भूमि विधात सर्वे न .563/2/1, गाम इ. नानाखेडा. द्वार : कविता के अन्य खर्च, (अमानतदार) वर्तु सीमा : यूर्व में: यू बी तोड़, पश्चिम में: शेष भूमि, उत्तर में: द्यानाम गूर्जर जीकी भूमि, दक्षिण में: मांगीलाल जीकी भूमि	37.60 mm	3.76 errae
i	E-Mail-Surasa.ujjain@bankofir		या, उन्मेंन फोन : 07368-261201 BKID0009138, EMD जन के 913890200000033 Collec	tion Accou	ant)
	कणी - 1. श्री अवित्त शर्मा पिता श्री सीताराम शर्मा, 2. श्रीमती यामिनी शर्मा परनी श्री अवित्त शर्मा जमानतदार: श्री राकेश जैन पिता श्री बाबूलाल जैन मांग सूचना राशि: रू. 4,91, 222.36 - व्याज एवं अन्य खर्च, सरकेशी नोटिस दिनांक: 17.06.2021, सांकेतिक कब्जा दिनांक: 24.11.2021		प्रश्वाभृत अंचल संपत्ति - क्लंट न 102, (याउंड क्लोर) सिलागम प्लाजा, बिल्डिंग क्रमांक 25, 250, केन्द्रैयालाल भनाना मार्ग, गती न 3, वार्ड ने 23, उज्जैन (म.प.), क्षेत्रफल 267,55 स्के.फीट, संपत्ति स्वामी : बीमती पामिनी फली अनिल कर्मा, बी अनिल पिछा बी रहेताराम कर्मा, वर्तुःसीमा :पूर्व में: आम गतिपारा व वद रास्तर, पविचम में) वद प्रभु धर्मशाला, उत्तर में: बहाज गली बरायत को और दक्षिण में। आम गतिपारावशीड़िया।	25.05	2.51 mm
			97360-244812, 242181, 8839695665 BKID0009554, EMD were leg witten als: 955490200000033 Collec	ection Acc	ownt)
	काणी - 0 1. श्री इमरान असी चिता श्री नब्ने असी, 0 2. श्री नब्ने असी चिता श्री उमराय असी मांग सूचना राशि रू. 42,59,267.31+ मांग एवं अन्य खर्च, तरफेसी नोटिस दिनांक: 18.01,2025, सांकेतिक कम्मा दिनांक: 19.04.2025	अपार्टमें ट. खसरा नंबर 42,रियाज तहसीत हुजुर, जिला भीपाल (म.3	तियों के सभी अंग जो स्थित हैं क्लेंट न टी-04, तृतीय मंजिल, मजारी झीत साईड मंजिल कम्पांउण्ड , कोहे फिजा, ग्राम खानूगांव , वार्ड नं 05 (नमा वार्ड नं 08), इ.), संपत्ति स्वामी : श्री इमरान असी पिता श्री नन्ने असी, श्री नन्ने असी पिता श्री कि.मी., चर्तुःसीमा : पूर्व में: खुला भाग बिल्डिंग का , पश्चिम मैं:रास्ता, उत्तर में:	34 eres	3.4
- 1		तहसीत शुजातपुर, जिला शाखापुर उमराव अती. क्षेत्रफल : 501.85	तेयों के सभी अंग जो स्थित है प्लॉट सर्वे नंबर 201, वार्ड नं, 01, बजीपुरा, गुजालपुर, (म.प्र.), संपत्ति स्वामी ः श्री इमरान अली पिता श्री नन्ने अली, श्री नन्ने अली पिता श्री 8 स्के.मी.। चर्तुः सीमाः पूर्व में :10 फीट रास्ता व अतिक अली का प्लॉट, पश्चिम गला, दक्षिण में : श्री सत्तार भाई का मकान।	79.05 enter	7.91

पोर्टल पर अपना राजिप्रदेशन नियत तिथि से पूर्व करवा लेवे । (३) नीलापी की तिथि और समय 25.06.2025 सुबह .11 बजे से दीपहर 5.00 को तक असीमित 10 मिनीट प्रत्येक ऑटो -एक्सर्टेशन के साथ। (4) नीलामी आरक्षित मृत्य पर शुक्त होगी। इच्छुक बोलीकर्ता अपने ऑकर स.50000 / - (पचास हजार मात्र) के गुणाकार (multiple) में अपनी राशि बढा सकते हैं। (5) इच्छुक बोलीकर्ता को पोर्टल https:// www.ebkray.in पर अपना नाम पंजीकृत करवाना हैं और अधिक जानकारी हेतु इच्छुक वोलिकर्ता ebkray पर संपर्क करें। (6) इच्छुक वोलीवाताओं को नीलामी की बिकी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनवारियों, संपत्ति कर में बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्क्रम्बेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो । प्रधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावो/अधिकारो/बेकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (७) जन्मर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी /बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हैं। प्राधिकृत: अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी तुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाब देह नहीं होगा। (४) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है वे अधिक विवरण ठाउनलॉड करने के लिए वेषसाइट - https:// www.ebkray.in भी देश्रे जहां सभी दिशा निर्देश उपलब्ध है इच्छुक बोलीकर्ताओं को निन्नलिखित ऑपचारिकताओं को पहले से पूरा करना होगा (अ) बोली कर्ताओं को मोबाईल नं. तथा मेल आईडी का उपयोग करके E-Auction पर पंजीयन करना होगा. (ब) केवाईसी सत्यापन - बोलीदाताओं को अपेक्षित केवाईसी दरतावेज अपलोड करने होंगे जिनका सत्यापन ebkray द्वारा किया जावेगा. (स) ईएमही शक्ति को ग्लोबल EMD wallet. Online/Offline, NEFT/Transfer द्वारा जमा करना होगा. (द) इच्छुक बोलीकर्ता उपरोक्त तीनों चरण को पुरा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं । (१) उचलम/ सफल बोलीदाता के मामले में ईएमढी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिकी समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमढी राशि वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देव नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने / ईएमडी शक्ति जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता हैं और यदि वह एकमात्र बोलीदाता हैं, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मुल्य पर माना जाएगा और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। (10) उद्यतम/सफल बोलीदाता को ब्रिकी के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकार बोली / खरीद राशि का 25 प्रतिशत बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंक अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। (11) बोली/खरीद सक्ति की शेष 75 प्रतिशत सक्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) की तिथि तक जमा करनी होगी निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असकल रहने पर जमा की गई राशि को जब्द कर लिया जाएगा और प्राधिकत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद करने और नयी नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। (1.2) संपूर्ण बिकी राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिकी प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसके वाद बिकी को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दायें पर विचार नहीं लेगा। (13) प्राधिकृत अधिकारी उद्भुतम बोली अथवा किसी वा सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और बिना कोई कारण बताए बिना किसी वा सभी बोलियों को स्वीकार करने वा अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार विक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छट देने का अधिकार रखता हैं। (14) यह प्रकाशन अधिम में उपरोक्त उधारकर्ताओं /प्यारंटमें /बंधककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है। (15) TDS शासकीय देय राशि , रजिस्ट्रेशन खर्च , स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि जो कोई भी राशि नियम अनुसार देय निकलती है उसका भुगतान केता को करना होगा । नोट : सभी संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 17.06.2025 समय दोय. 12 से 4 बजे तक रहेगी। प्राधिकृत अधिकारी,

दिवांक - 21.05.2025

बैंक ऑफ डिएडया, उन्जैन अंचल